न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/735

1. रूडाराम पुत्र पूरा पौत्र पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा
2. गेपाल पुत्र पूरा पौत्र पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा
3. प्रभुदयाल पुत्र पूरा पौत्र पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा
4. श्रवणी पुत्री पूरा पौत्र पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा (फौत दिनांक 02.08.2018)

4/1. चिंरजी लाल पुत्री श्रवणी देवी दोहिती पूरा, पर दोहिती पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा

4/2. सुशिला देवी श्रवणी देवी दोहिती पूरा, पर दोहिती पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा

4/3. दुर्गा देवी पुत्री श्रवणी देवी श्रवणी देवी दोहिती पूरा, पर दोहिती पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा

5. नाथी उर्फ पतासी पुत्री पूरा पौत्री पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा पत्नी स्व. मोहन लाल बलाई

समस्त जाति मेघवंशी बलाई, निवासी–बावडी तहसील रींगस, जिला सीकर, राजस्थान।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. संतोष कंवर पत्नी अजीत सिंह जाति राजपूत, निवासी–17, केवाईडी बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील रींगस, जिला सीकर राजस्थान।
3. पटवारी हल्का बावडी, तहसील रींगस, जिला सीकर, राजस्थान।
4. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा बावडी, जिला सीकर, राजस्थान।
5. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा बावडी, जिला सीकर राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर, प्रकरण संख्या 105/2023/अपील उनवानी संतोष कंवर बनाम रूडाराम व अन्य निर्णय दिनांक 13.05.2024

उपस्थित :–

1. श्री सुल्तान कुडी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री विवेक शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक–14.08.2025

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतोष कंवर पुत्री गोकुलसिंह पौत्री जस्सुसिंह ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर हाल तहसील रींगस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खसरा नं. 1100, 1101/1, 1101/2 कुल किता–3 क्षेत्रफल 1.3400 है० तन ग्राम बावडी पटवार हल्का बावडी भू–अभिलेख निरीक्षक बावडी तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील रींगस जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नं. 573, 577, कुल किता–2 कुल रकबा 1.3400 है. तन ग्राम बावडी हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात पर कब्जा काश्त अपीलार्थीया के पिता दादा का चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलार्थीया व उसके परिजनों का चला आ रहा है एवं उक्त भूमियों की खसरा गिरदावरियां संवत 2009 से 2032 तक लगातार अपीलार्थीया के दादा जस्सूसिंह व उनके परिजनों किशनसिंह, केसरसिंह, रामसिंह, बदनसिंह आदि का नाम दर्ज चला आ रहा है। इन कृषि भूमियों पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 5 का कोई संबंध या सरोकार नही है ना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

ही इनके बुजुर्गान का रहा है परन्तु यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता का वास्तविक नाम पूरा पुत्र पेमला उर्फ पेमा था एवं उक्त भूमि की खातेदारी पुरा पुत्र रूपा के नाम गलत रूप से दर्ज हो गयी थी, उक्त पूरा पुत्र रूपा ना औलाद फौत हो गया था, उसका भी उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा था इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने पटवारी हल्का बावडी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक रींगस एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मिलीभगत करके एवं साज करके भू–अभिलेख जमाबंदी में पूरा पुत्र रूपा के नाम गलत रूप से दर्ज खातेदारी की आड़ में अपने आपको कतई गलत रूप से पूरा पुत्र रूपा के वारिसान बताकर प्रशासन गावों के संग अभियान 2001 के तहत विरासत का नामान्तकरण संख्या–454 तस्दीक करवा लिया। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि पूरा पुत्र रूपा की मृत्यु दिनांक 15.04.1965 को हो चुकी थी एवं पूरा पुत्र पेमला उर्फ पेमा की मृत्यु दिनांक 25.11.1993 को हो चुकी थी एवं उक्त दोनों व्यक्ति अलग–अलग थे। अपीलार्थीया ने तथाकथित नामान्तकरण संख्या 454 की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि देने हेतु पटवारी हल्का बावडी से निवेदन किया तो उनके द्वारा अपीलार्थीया को बताया गया कि उक्त नामान्तकरण के साथ कोई दस्तावेजात नही है जिसके संबंध में तहसीलदार महोदय, रींगस के आदेश कमांक भू.अ./2023/1050 दिनांक 05.06.2023 के कम में रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 को कार्यालय तहसीलदार रींगस में भिजवायी जा चुकी है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12.07.2023 को अपीलार्थीया को तहसील कार्यालय रींगस से प्राप्त हुयी है जिसमें स्पष्ट रूप से पटवारी हल्का बावडी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम बावडी के नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 व इस नामान्तकरण संख्या 454 के साथ संलग्न दस्तावेजो को पटवार हल्का बावडी के समस्त उपलब्ध सरकारी रिकोर्ड में गहनता से सर्च करके ढूंढने के बाद केवल नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 की प्रति मिली, इसके साथ संलग्न होने वाले कोई भी आवश्यक दस्तावेजात (यथा खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र, विरासतनामा, विरासत का नामान्तकरण खुलवाने वाले प्रार्थी का शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र) नहीं मिले है. जिनके आधार पर नामान्तकरण की प्रविष्टि कर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। उक्त रिपोर्ट से भी साबित है कि उक्त नामान्तकरण कतई गलत रूप से भरा गया है। इसलिए उक्त नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक चुनौतिग्रस्त नामांतकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 हाल तहसील रींगस को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1100, 1101/1, 1101/2 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.3400 है० की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तकरण सं. 454 दिनांक 04.12.2001 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रींगस को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में मृतक खातेदार का सजरा खानदान/वारिस प्रमाण पत्र एवं कब्जे की जांच करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 13.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स रूडाराम पुत्र पूरा पौत्र पेमला उर्फ पेमा उर्फ रूपा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के दिनांक 13.05.2024 निरस्त करने तथा अपीलान्ट की खातेदारी कब्जा काश्त रहवास निरन्तर रहने देने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 13.05.2024 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होकर कानूनन पोषणीय नहीं होकर निरस्त फरमाये जाने योग्य है। पुराना आराजीयात नं. 573, 577 राजस्व ग्राम बावड़ी के काबिज काश्त खातेदार खातेदारी रिज्यूम के समय से ही

अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज होकर निरन्तर काबिज एवं आबाद रहे है। तत्पश्चात विरासतन पैत्रक भूमियों की खातेदारी कब्जा काश्त आबाद अपीलान्ट रहकर मजमें आम में प्रशासन गांवो के संग अभियान में बाद कब्जा एवं दस्तावेजात जांच कर आम जन बावड़ी एवं रेस्पोडेन्ट की पूर्ण जानकारी में नामान्तकरण संख्या 454 दिनांकित 04.12.2001 विधि सम्मत प्रकिया के अनुसरण में विधिवत दर्ज किया गया है। यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय रहे कि पूरा पुत्र रूपा उर्फ पेमला उर्फ पेमा के एक मात्र वारिस अपीलान्ट ही है तथा अपीलान्ट का कब्जा काश्त, बैंकों द्वारा ऋण कब्जा एवं राजस्व रिकार्ड की विधिवत जांच करवाकर प्रदान किया जाता है, से एवं मौके पर काश्त, रहवास, गुवाड़ी, छान–छप्पर इत्यादि से पूर्णतया प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मृतक खातेदार (पूरा पुत्र रूपा उर्फ पेमला उर्फ पेमा) का सजरा खानदान, वारिस प्रमाण पत्र एवं कब्जे की जांच करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955 की धारा 19 के तहत जांच हेतु आदेशित किया है। जबकि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत खातेदार के एक मात्र वैद्य वारिसान अपीलान्ट ही होने एवं कब्जा काश्त आबाद भी अपीलान्ट ही होने की विधि सम्मत जांच कर नामान्तकरण संख्या 454 दिनांकित 04.12.2001 तस्दीक किया गया था। चुनौतिग्रस्त निर्णय में सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतोष कंवर द्वारा खातेदारी पूरा पुत्र रूपा के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है एवं पूरा पुत्र रूपा उर्फ पेमला उर्फ पेमा के अपीलान्ट वारिस नहीं होने के संबंध में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि स्वीकृत स्थिति है कि अपीलान्ट का पूर्वज पूरा पुत्र रूपा उर्फ पेमला उर्फ पेमा जाति बलाई निवासी बावड़ी की अपीलान्ट एवं इनके पूर्वज पूरा पुत्र रूपा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतोष कंवर न तो जाति की है एवं न ही वारिस है। अपीलान्ट की जाति बलाई (अनुसूचित जाति) है एवं संतोष कंवर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जाति राजपूत होकर स्वर्ण जाति है। जिसके नाम खातेदारी दर्ज किया जाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के तहत विधि वर्जित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतोष कंवर को अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्य की कब्जा काश्त खातेदारी भूमि के नामान्तकरण को चुनौति दिये जाने की (Locus Standi) लोकस स्टण्डाई नहीं होते हुए भी उक्त चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर विधि की भूल की है। इसलिए भी निर्णय दिनांक 13.05.2024 अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पूर्वज पूरा पुत्र रूपा उर्फ पेमला उर्फ पेमा के इन कृषि भूमियों की खातेदारी कब्जा काश्त को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कभी नहीं दी है अब करीब 70 वर्षों की लम्बी अवधि पश्चात् अपीलान्ट की इस पैत्रक विरासतन कृषि भूमियों के दिनांक 04.12.2001 के नामान्तकरण को करीब 22 वर्षों पश्चात बिना किसी आधार एवं (Locus Standi) लोकस स्टण्डाई के चुनौति मियाद अधिनियम में प्राविधिवत समयावधि के पश्चात दी गयी के विधिक प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना कर अपीलान्ट अनुसूचित जाति के सदस्यों को अनावश्यक मुकदमें बाजी में दखेल दिया है। इसलिए भी चुनौतिग्रस्त निर्णय मियाद अधिनियम के तहत भी निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि स्वीकृत स्थिति है कि इन कृषि भूमियों पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व एवं इसके पूर्वजों का कभी भी कब्जा, लेन–देन खातेदारी किसी किस्म का नहीं रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने ससुराल बीकानेर में शादी से ही काफी लम्बी अवधि से रह रही है। जिसके संबंध में भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फाईण्डिग नहीं देकर चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अनुसूचित जाति के सदस्य की कृषि भूमि की खातेदारी को बिना किसी कब्जा प्राप्ति, इस्करारहक के अनुतोष के वादपत्र के बिना मात्र नामान्तकरण की मिथ्या अपील में बिना साक्ष्य के फाईण्डिग देकर चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट 4/1 ता 4/3 मृतका श्रवणी देवी रेस्पोडेन्ट संख्या 4/ अपीलान्ट संख्या 4 की मृत्यु दिनांक 02.08.2018 के वैद्य वारिसान है तथा सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 मृतका श्रवणी को पक्षकार बनाकर तथा वैध वारिसान होते हुए भी ना औलाद कथन कर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। इसलिए भी उक्त निर्णय दिनांक 13.05.2024 अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर का निर्णय दिनांक 13.05 2024 पत्रावली संख्या 105/2023 उनवानी संतोष कंवर बनाम रूडाराम व अन्य को निरस्त फरमाकर अपीलान्ट की खातेदारी कब्जा काश्त रहवास निरन्तर रहने देने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर हाल तहसील रींगस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खसरा नं. 1100, 1101/1, 1101/2 कुल किता–3 क्षेत्रफल 1.3400 है० तन ग्राम बावडी पटवार हल्का बावडी भू–अभिलेख निरीक्षक बावडी तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील रींगस जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नं. 573, 577, कुल किता–2 कुल रकबा 1.3400 है. तन ग्राम बावडी हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात पर कब्जा काश्त अपीलार्थीया के पिता दादा का चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलार्थीया व उसके परिजनों का चला आ रहा है एवं उक्त भूमियों की खसरा गिरदावरियां संवत 2009 से 2032 तक लगातार अपीलार्थीया के दादा जस्सूसिंह व उनके परिजनों किशनसिंह, केसरसिंह, रामसिंह, बदनसिंह आदि का नाम दर्ज चला आ रहा है। इन कृषि भूमियों पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 5 का कोई संबंध या सरोकार नही है ना ही इनके बुजुर्गान का रहा है परन्तु यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता का वास्तविक नाम पूरा पुत्र पेमला उर्फ पेमा था एवं उक्त भूमि की खातेदारी पुरा पुत्र रूपा के नाम गलत रूप से दर्ज हो गयी थी, उक्त पूरा पुत्र रूपा ना औलाद फौत हो गया था, उसका भी उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा था इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने पटवारी हल्का बावडी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक रींगस एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मिलीभगत करके एवं साज करके भू–अभिलेख जमाबंदी में पूरा पुत्र रूपा के नाम गलत रूप से दर्ज खातेदारी की आड़ में अपने आपको कतई गलत रूप से पूरा पुत्र रूपा के वारिसान बताकर प्रशासन गावों के संग अभियान 2001 के तहत विरासत का नामान्तकरण संख्या–454 तस्दीक करवा लिया। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि पूरा पुत्र रूपा की मृत्यु दिनांक 15.04.1965 को हो चुकी थी एवं पूरा पुत्र पेमला उर्फ पेमा की मृत्यु दिनांक 25.11.1993 को हो चुकी थी एवं उक्त दोनों व्यक्ति अलग–अलग थे। अपीलार्थीया ने तथाकथित नामान्तकरण संख्या 454 की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि देने हेतु पटवारी हल्का बावडी से निवेदन किया तो उनके द्वारा अपीलार्थीया को बताया गया कि उक्त नामान्तकरण के साथ कोई दस्तावेजात नही है जिसके संबंध में तहसीलदार महोदय, रींगस के आदेश कमांक भू.अ./2023/1050 दिनांक 05.06.2023 के क्रम में रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 को कार्यालय तहसीलदार रींगस में भिजवायी जा चुकी है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12.07.2023 को अपीलार्थीया को तहसील कार्यालय रींगस से प्राप्त हुयी है जिसमें स्पष्ट रूप से पटवारी हल्का बावडी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम बावडी के नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 व इस नामान्तकरण संख्या 454 के साथ संलग्न दस्तावेजो को पटवार हल्का बावडी के समस्त उपलब्ध सरकारी रिकोर्ड में गहनता से सर्च करके ढूंढने के बाद केवल नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 की प्रति मिली, इसके साथ संलग्न होने वाले कोई भी आवश्यक दस्तावेजात (यथा खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र, विरासतनामा, विरासत का नामान्तकरण खुलवाने वाले प्रार्थी का शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र) नहीं मिले है. जिनके आधार पर नामान्तकरण की प्रविष्टि कर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। उक्त रिपोर्ट से भी साबित है कि उक्त नामान्तकरण कतई गलत रूप से भरा गया है। इसलिए उक्त नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक चुनौतिग्रस्त नामांतकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 हाल तहसील रींगस को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1100, 1101/1, 1101/2 कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.3400 है० की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तकरण सं. 454 दिनांक 04.12.2001 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रींगस को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में मृतक खातेदार का सजरा खानदान/वारिस प्रमाण पत्र एवं कब्जे की जांच करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.05.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद खातेदार पुरा पुत्र रूपा की विरासत के नामान्तकरण को लेकर है। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों एवं रिकॉर्ड यथा ग्राम बावडी नामान्तरकरण संख्या 863 में छोटू पिता पेमला अंकित है, हक त्याग लेख दिनांक 06.01.2009 में छोटूराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति बलाई अंकित है, मालीराम पुत्र छोटूराम ने अपने शपथ पत्र दिनांक 02.01.2009 में अंकित किया है कि मेरे पिताजी छोटूराम पुत्र श्री पेमाराम जाति बलाई है, नामा. सं. 281 दिनांक 25.03.1996 में भी काश्तकार का नाम पूरा पुत्र पेमला अंकित है, नामान्तकरण संख्या 921 दिनांक 22.09.2009 में बिरदा पुत्र पेमला अंकित है, रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु बावडी खण्डेला सीकर में पुरा पुत्र रूपा की मृत्यु दिनांक 15.04.1965 को होना अंकित है, रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु बावडी तहसील श्रीमाधोपुर में पूराराम पुत्र पेमाराम बलाई की मृत्यु दिनांक 24.11.1993 को होना अंकित है, जमाबन्दी 2079 में पूरा पुत्र रूपा दर्ज रिकॉर्ड है, पटवार हल्का बावडी तहसील रींगस की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2024 में कब्जे से सम्बन्धित जॉच रिपोर्ट व उपस्थित ग्रामवासियों के अनुसार राजस्व ग्राम बावडी के वर्तमान भूमि खसरा नं. 1100, 1101/1, 1101/2 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से आज दिनांक तक लगातार पैरा नं. 5 में वर्णित लाभार्थियों व उनके पूर्वजों का काश्त होना अंकित किया गया है, खण्डेला (36) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1980 भाग सं. 54 में क्र.सं. 209 में मंगला पुत्र पेमा, क्र.सं. 212 में पूरा पुत्र पेमा व श्रीमाधोपुर (32) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1971 भाग संख्या 69 में भी क्र.सं. 683 पर मंगला पुत्र पेमा व क्र.सं. 686 पर पूरा पुत्र पेमाराम अंकित किया हुआ है, खसरा गिरदावरी ग्राम बावडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर संवत 2038 के खसरा नम्बर 573 में पूरा पुत्र रूपा मेघवंशी व खसरा नम्बर 574 में मंगला पुत्र पूरा, छोटू, बिरदा पिता पेमा, खसरा गिरदावरी ग्राम बावडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर संवत 2043 के खसरा नम्बर 1095 में घासी पुत्र मंगला, पूरा, छोटू, बिरदा पिता पेमला, ख.नं. 1100 में पूरा पुत्र रूपा मेघवंशी अंकित है, खसरा गिरदावरी ग्राम बावडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर संवत 2026 के खसरा नम्बर 573 में पूरा पुत्र रूपा मेघवंशी, ख.नं. 574 में मंगला, पूरा, छोटू, बिरदा पिता पेमला मेघवंशी अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम बावडी में पूरा पुत्र रूपा एवं पूराराम पुत्र पेमाराम बलाई दोनों अलग–अलग व्यक्ति हैं। पूरा की वल्दीयत में परिवर्तन होने से प्रकरण संदेहास्पद प्रतीत होता है तथा कूटरचना किये जाने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपीलाधीन नामांतकरण खातेदार पूरा पुत्र रूपा कोम मेघवंशी सा.देह फौत होने पर उनके वारिसान नाथी, श्रवणी पुत्रियां पूरा, रूड़ाराम, गोपाल प्रभूदयाल पि० पूरा, सोनी देवी बेवा पूरा हि.ब. कोम मेघवंशी सा.देह के नाम हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27.11.2001 को भरा जाकर हल्का गिरदावर द्वारा दिनांक 27.11.2001 को रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि "प्रशासन गांवों के संग 2001 अंकन तुलनात्मक है जमाबन्दी पढ़कर सुनाने पर खातेदार की मृत्यु की ताईद होने पर मजमें आम में उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया गया" तदउपरांत तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 04.12.2001 को नामांतकरण स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन पर राजस्व ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 1100, 1101/1, 1101/2 कुल किता 3 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 573, 577 कुल किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर की खसरा गिरदावरियाँ सम्वत् 2009 से 2032 में अपीलार्थीया के दादा जस्सूसिंह व उनके परिवारजन किशनसिंह, केशरसिंह, बदनसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में नकल नामांतकरण संख्या 14 दिनांक 23.09.1962 के द्वारा ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 278 के खातेदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पूरा पुत्र रूपा कौम बलाई सा. देह के स्थान पर टिनेन्सी एक्ट की धारा 19 के अनुसार गणपत पुत्र महादेव कौम जाट सा. देह के नाम स्वीकार किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में तहसीलदार रींगस से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.08.2023 का अवलोकन करने पर रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि "ग्राम बावड़ी तहसील रींगस के नामांतकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य (यथा खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र, खातेदार का वारिश प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारियों का इस सम्बंध में शपथ पत्र) के नामांतकरण स्वीकृत किया है। नामांतकरण संख्या 454 ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 1100, 1101 कुल किता 2 कुल रकबा 1.34 है० के सम्बंध में खातेदार पूरा पुत्र रूपा की खातेदारी के सम्बंध में प्रशासन गावों के संग अभियान 2001 में दिनांक 27.11.2001 को पटवार हल्का बावड़ी द्वारा भरना व उसी दिन भू अभिलेख निरीक्षक, रींगस द्वारा मजमे आम में नामांतकरण की जांच करना अंकित किया है। नामांतकरण के साथ कोई भी आवश्यक दस्तावेज सलंग्न नहीं है।" राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरियां सम्वत् 2009 से 2032 में अपीलार्थीया के दादा जस्सूसिंह व उनके परिवारजन किशनसिंह, केशरसिंह, बदनसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी आधार वर्ष जमाबन्दी के उप कृषक के कॉलम में भी अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम दर्ज होने से वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी पूरा पुत्र रूपा के नाम गलत रूप से इन्द्राज होना प्रकट होता है। उक्त गणपत राम को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत दी गई खातेदारी के विरुद्ध खातेदार पूरा पुत्र रूपा के द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती दिये जाने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रींगस से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य, मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना तस्दीक किया गया है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 454 दिनांक 04.12.2001 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रींगस को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में मृतक खातेदार का सजरा खानदान, वारिस प्रमाण पत्र एवं कब्जे की जॉच करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 19 के तहत पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन निर्णय 13.05.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2024 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि – अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति० संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर